

प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना

सेवा में,

सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार।
सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार।
सभी मोटरवाहन निरीक्षक, बिहार।

पटना, दिनांक

विषय:- M/s- Maruti Suzuki India Ltd. के उत्पाद मॉडल का निबंधन के संबंध में ।
महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक M/s- Maruti Suzuki India Ltd. के द्वारा प्रस्तुत उनके उत्पाद मॉडलों के संबंध में केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 126 के तहत प्राधिकृत जॉच एजेन्सी ICAT, Haryana द्वारा प्रदत्त प्रोटोटाइप जॉच प्रमाण-पत्र एवं अन्य कागजातों के आधार पर निम्न उत्पाद मॉडलों का बिहार राज्य में विक्रय के प्रयोजनार्थ निबंधन की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

Sl. No.	Base Model	T.A. Certificate No/Date	Types of Vehicle
1	Maruti CIAZ Smart Hybrid Sigma and its 05 Variants	CAKH 0059 F01 C01/09.03.2017	Passenger Car (BSIV)-M1
2	Maruti CIAZ Sigma and its 5 Variants	CAJN 0094 F02 /27.02.2017	Passenger Car (BSIV)-M1
3	Maruti CIAZ Automatic Delta and its 3 Variants	CAJN 0095 F02 /27.02.2017	Passenger Car (BSIV)-M1

- निबंधन के पूर्व केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली-1989 के नियम-126 एवं 127 व अन्तर्गत प्रपत्र-22 में प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तथा नियमावली के नियम-93 के प्रावधानों को कड़ाई से पालन करना होगा। एतद नियमावली के नियम 33 से 46 का अनुपालन करेंगे।
- वाहन के प्रोटोटाइप जिस प्रकार प्रमाणित किया गया है, निबंधन भी उसी प्रकार के वाहन का होगा।
- इसके साथ रोड वर्थीनेस प्रमाण पत्र मोटर वाहन नियमावली के नियम के अनुपालन के प्रतिवेदन/जॉच प्रतिवेदन/भारग निर्देशन वाहन डीलर द्वारा सलग्न किया जायेगा।
- किसी भी परिस्थिति में किसी कम्पनी के नये प्रोडक्ट का निबंधन राज्य परिवहन आयुक्त का आदेश निर्गत होने की तिथि के पूर्व नहीं किया जायेगा। बिना आदेश के यदि निबंधन किया जाता है तो इसकी सम्पूर्ण जबाबदेही आपकी होगी।
- जिला परिवहन पदाधिकारी वाहन विक्रेता के पंजियों की नियमित जॉच करते हुए बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम-1994 की धारा-6 के अधीन करों की वसूली सुनिश्चित करेंगे तथा ट्रेड टैक्स का अद्यतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
- जिला परिवहन पदाधिकारी वाहन के निबंधन के समय यह सुनिश्चित करेंगे कि डीलर का ट्रेड प्रमाण पत्र वैध है एवं उनके द्वारा बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 (यथा संशोधित) की धारा-6 के अनुरूप प्रत्येक वाहन के ट्रेड टैक्स का अद्यतन भुगतान किया गया है।
- बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा 6 से इयूल-III के अनुरूप प्रत्येक वाहन के लिए निर्धारित कर की दर से निबंधन के समय भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
- संबंधित Models का बिक्री मूल्य डीलर द्वारा संबंधित जिला परिवहन कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे जिसे कार्यालय कम्प्यूटर में दर्ज करेंगे।
- निर्माता कंपनी उक्त मॉडलों/वैरियन्ट के संबंध में COI छः माह के अन्दर इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

विश्वासभाजन

ह0/-

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक :

पटना, दिनांक :

प्रतिलिपि:- Authorised Signatory: I or M/s-Maruti Suzuki India Ltd. 307-308 Vasundhara Metro Mail Rajapurpu, East Boring Canal Road, Patna-800001 को सूचनाार्थ प्रेषित।

ह0/-

विशेष कार्य पदाधिकारी,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक :

2667

पटना, दिनांक :

18/5/17

प्रतिलिपि : State Informatic Officer, NIC, Patna को Vahan Software के Master Box में प्रविष्टि करने हेतु/I.T. Manager, परिवहन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना